राजस्व लोक अदालत 2017 केम्प कोर्ट लाम्बियाकंला

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा, जिला भीलवाड़ा

(बईजलास श्री रतनलाल रेगर आर ए एस)

प्रकरण संख्या 58/2017 प्रार्थनापत्र एलआर

अनवान

1. शोभा पत्नि रमेश नुवाल निवासी 4 ए 21 आर0सी0व्यास कोलोनी, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा
2 अंजना पत्नि विजय नुवाल निवासी सोलंकी टाकीज के पास शास्त्रीनगर, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा
3 किरण जैन ध0प0 माणक जैन निवासी आर0सी0व्यास कोलोनी, भीलवाडा तहसील व जिला–भीलवाडा
4 मिश्रीलाल पिता मगना जाट निवासी लाम्बियाकंला, भीलवाडा तहसील बनेडा जिला–भीलवाडा

.... प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भील0

..... विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :::– **श्री मुरारी जोशी वकील प्रार्थी**

–:: निर्णय ::–

दिनांक 07.06.2017

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षी के इस आशय का प्रस्तुत किया कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला तहसील बनेडा की खतौनी संख्या 756 का आराजी संख्या 1037/4 रकबा 06–04 बीघा प्रार्थी संख्या 01, 02 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। एंव खाता संख्या 138 के आराजी संख्या 1037/3 रकबा 03–18 बीघा प्रार्थी संख्या 03 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। एंव खाता संख्या 394 के आराजी संख्या 1037 रकबा प्राथी संख्या 04 के नाम पर दर्ज रेकार्ड है। आराजी संख्या 1037/4 रकबा 06–04 बीघा के स्थान पर आराजी संख्या 1037/3 रकबा 03–18 बीघा एंव आराजी संख्या 1037 रकबा 03–18 बीघा के स्थान पर आराजी संख्या 1037 रकबा 06–04 बीघा एंव आराजी संख्या 1037/2 रकबा 07–04 बीघा में से 01–00 बीघा प्रार्थी संख्या 04 ने कय की है कों राजस्व कर्मचारीयों द्वारा भूलवश नक्शे में गलत तरमीम कर दी गयी है उक्त लिपिकीय त्रुटी आजदिनांक तक अनव्रत जारी है जिसे संशोधन की आज्ञा प्रदान की जावें।

अतः ग्राम लाम्बियाकंला तहसील बनेडा के आराजी संख्या 1037/4 रकबा 06–04 बीघा, आराजी संख्या 1037/3 रकबा 03–18 बीघा एंव आराजी संख्या 1037/2 रकबा 01–00 बीघा को नक्शे में पटवारी द्वारा प्रस्तावित तरमीम ट्रेस को राजस्व नक्शे में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान करावें।

2. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.04.2017 को दर्ज रजिस्टर किया गया विपक्षी की जरिये सम्मन तलबी की गई। इसी दौरान प्रकरण को राजस्व लोक अदालत के केम्प लाम्बियाकंला के लिए पंजिबद्ध किया गया तथा विपक्षी राज्य पक्ष नायब तहसीलदार रायला ने प्राथीगण के प्रार्थना के प्रा.पत्र को स्वीकार किये जाने मे किसी प्रकार की कोई आपत्ती होना जाहीर नही करते हुए अपनी और से ईकबालिया जवाब मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया । प्रार्थनापत्र के समर्थन में शपथपत्र तथा साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत दस्तावेजी पर अध्ययन व मनन पश्चात प्रार्थीगण का प्रा.पत्र सहमति से लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए न्याय हित में स्वीकार योग्य है प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाडा (राज.

—:: आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट विरूद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर नायब तहसीलदार रायला को निर्देशित किया जाता है कि वाके ग्राम लाम्बियाकंला तहसील बनेडा की वर्तमान जमाबंदी आराजी संख्या 1037/4 रकबा 06—04 बीघा, आराजी संख्या 1037/3 रकबा 03—18 बीघा एंव आराजी संख्या 1037/2 रकबा 01—00 बीघा को नक्शे में पटवारी द्वारा प्रस्तावित तरमीम ट्रेस को राजस्व नक्शे में संशोधित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2017 को राजस्व लोक अदालत केम्प मुकाम लाम्बियाकंला में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.

कमांक/प्रा.पत्र. एलआर /प्र.स. 58/2017 **दिनांक 07.06.2017**

प्रतिलिपि मय प्रस्तावित नक्शा ट्रेस—

नायब तहसीलदार बनेडा को भेजकर लेख है कि माफिक आदेश के राजस्व अभिलेखों में पालना की जाकर मय पालना रिपोर्ट के नकल जमाबंदी सहित 30 दिन की समयावधि में प्रस्तुत करने की सुनिश्चिता करें।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा,
जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी बनेड़ा
जिला भीलवाड़ा राज.